संख्या-396/2017/434/22-2-2017-17(136)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 07 जून, 2017***

विषय:- जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 सईद उर्फ लाला पुत्र श्री हियात उर्फ हयात, निवासी जनपद-रायबरेली वर्तमान अमेठी की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 02.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 सईद उर्फ लाला पुत्र श्री हियात उर्फ हयात, निवासी ग्राम ढोढनपुर, थाना मोहनगंज, जनपद-रायबरेली वर्तमान अमेठी का रहने वाला है। बन्दी द्वारा शादी समारोह में खाना परोसने के विवाद को लेकर दिनांक 19.06.1996 को 11 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बन्दूकों एवं लाठियों से मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या तथा 06 व्यक्तियों को घायल कर अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-550/1996 तथा 72/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 147 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश/ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट न0-4, रायबरेली के आदेश दिनांक 30.06.2012 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.09.2016 तक 08 वर्ष 03 माह 07 दिन की अपरिहार एवं 10 वर्ष 00 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि बन्दी के 09 सहअभियुक्त अभी जेल में हैं तथा दयायाचिका समिति द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मो0 सईद उर्फ लाला (बन्दी संख्या-111/2012) पुत्र श्री हियात उर्फ हयात, निवासी-जनपद-रायबरेली वर्तमान अमेठी की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-396/2017/434/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमेठी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, रायबरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in